



राजस्थान सरकार  
निदेशालय, महिला अधिकारिता  
जे-7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर



क्रमांक प. 1(1)(91)/मअ/स्था/ 2013/पार्ट/ 10848

जयपुर, दिनांक : 18.3.2021

आदेश

विभागीय समसंख्यक आदेश क्रमांक 9106 दिनांक 26.02.2021 के अतिक्रमण में निदेशालय महिला अधिकारिता के अन्तर्गत मुख्यालय पर 01 एवं कार्यालय उप निदेशक/सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, जिला भीलवाड़ा, बून्दी, चित्तौड़गढ़, चुरू, धौलपुर, डूंगरपुर, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक, सिरोही एवं प्रतापगढ़ प्रत्येक में 01 कम्प्यूटर संबंधी कार्यो को सुचारू रखने की दृष्टि से मैन विद मशीन RTPPA ACT एवं वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30.04.2018 की पालना सुनिश्चित करते हुए दिनांक 28.02.2022 तक के लिए हायर किये जाने की स्वकृति प्रदान की जाती हैं।

यह स्वीकृति वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 162100219 दिनांक 25.02.2021 की सहमति के अनुसरण में जारी की जाती हैं।

(रश्मि गुप्ता)

आयुक्त

महिला अधिकारिता

क्रमांक प. 1(1)(91)/मअ/स्था/ 2013/पार्ट/ 10849-70

जयपुर, दिनांक : 18.3.2021

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग, राजस्थान-जयपुर।
2. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक, महिला अधिकारिता, मुख्यालय, जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, महिला अधिकारिता, मुख्यालय, जयपुर।
4. आहरण वितरण अधिकारी, महिला अधिकारिता मुख्यालय।
5. प्रभारी अधिकारी, स्टोर म.अ. मुख्यालय।
6. उप निदेशक/सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, जिला भीलवाड़ा, बून्दी, चित्तौड़गढ़, चुरू, धौलपुर, डूंगरपुर, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक, सिरोही एवं प्रतापगढ़।
7. प्रोग्रामर, महिला अधिकारिता, मुख्यालय, जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. कैशियर/स्टोर/संस्थापन म.अ. मुख्यालय।
9. आदेश पत्रावली।

आयुक्त

महिला अधिकारिता